ज्ञानेन्द्र धर द्विवेदी
निदेशक (वितरण)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग
लखनऊ-226 001
E-mail: directord@uppcl.org
CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या 984 /रेस्पो/एस-1/अविकसित कॉलोनी दिनांकः 21 मई ,2025

विषय: प्रदेश के जनपदों में नगर के बाहरी इलाकों में स्थित अविकसित/अविद्युतीकृत कालोनियों में विद्युत तंत्र स्थापित करने से सम्बन्धित योजना।

प्रबन्ध निदेशक,
समस्त विद्युत वितरण निगम लि0,
उ0प्र0पा0का0लि0।

महोदया/महोदय,

नगरों के बाहरी इलाकों में स्थित अविकसित/अविद्युतीकृत कालोनियों में विद्युत तंत्र स्थापित कर उपभोक्ताओं को विद्युत संयोजन निर्गत करने हेतु पूर्व में विभाग द्वारा रू0 35 प्रति वर्ग फुट प्लॉट क्षेत्रफल के आधार पर धनराशि जमा कराकर विद्युत तंत्र निर्माण कर संयोजन निर्गत करने की योजना उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के पत्रांक 58/पीपीएसडीडी/2019 दिनांक 29.06.2019 के माध्यम से लागू की गई थी। इस योजना में उपभोक्ताओं को आ रही समस्याओं के दृष्टिगत उ0प्र0पा0का0लि0 द्वारा प्रेषित योजना के सरलीकरण के प्रस्ताव के क्रम में दिनांक 27.02.2025 को मा0 विद्युत नियामक आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा सरलीकृत योजना का अनुमोदन प्रदान किया गया है। इस सरलीकृत योजना के आधार पर नगर के बाहरी इलाकों में उपभोक्ताओं को अविकसित/अविद्युतीकृत कालोनियों में संयोजन निर्गत करने हेतु निम्नलिखित व्यवस्था अपनाई जाए-

(1) ऐसी चिन्हित कालोनियों के निवासियों/प्लॉट मालिकों द्वारा कनेक्शन के आवेदन करने पर निम्नानुसार धनराशि जमा की जानी होगी-

(i) कास्ट डाटा बुक के अनुसार संयोजन राशि (प्रोसेसिंग फीस, सिक्योरिटी, विद्युत मीटर, 40 मीटर आरमर्ड सर्विस केबिल के सापेक्ष धनराशि एवं लेबर/ओवरहेड चार्जेज)।

(ii) जिस प्लॉट/मकान/सम्पत्ति पर कनेक्शन के लिए आवेदन किया गया है उसकी रजिस्ट्री के अनुसार प्लॉट के क्षेत्रफल के आधार पर रू0 70 प्रति वर्ग फीट की दर (या नयी लागू दर बिन्दु सं0-21 के अनुसार)। यह राशि विद्युत तंत्र निर्माण की धनराशि के सापेक्ष होगी।

21/5/2025

(2) तंत्र निर्माण की धनराशि कालोनी के किसी भी प्लॉट/भवन/सम्पत्ति में दिए जाने वाले पहले संयोजन के लिए तथा एक ही बार जमा कराई जाएगी। उसी प्लॉट/भवन/सम्पत्ति पर एक से अधिक संयोजन लेने या लोड बढ़वाने के लिए तंत्र निर्माण की धनराशि पुन: जमा नहीं कराई जाएगी किन्तु कास्ट डाटा बुक के अनुसार अन्य आवश्यक धनराशि जमा करायी जायेगी। तंत्र निर्माण की राशि उक्त चिन्हित कालोनी के प्रत्येक प्लॉट/मकान/सम्पत्ति मालिक/आवेदनकर्ता से जमा करायी जायेगी, भले ही वहाँ पर पूर्व आवेदनों के क्रम में विभागीय व्यय पर विद्युतीकरण हो गया हो।

(3) इस योजना के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त होने पर अविकसित/अविद्युतीकृत कॉलोनी का सर्वे कर सर्वप्रथम कॉलोनी की सीमाएं/विस्तार निर्धारित किए जाएं। यदि अधिकतम 500 मीटर एच0टी0 एवं 250 मी0 एल0टी0 लाइन का निर्माण कर तथा 11/0.4 के0वी0 ट्रांसफार्मर लगाकर कालोनी के सभी अथवा बड़ी संख्या में प्लाटों पर कनेक्शन दिया जा सकता हो, तो प्लॉटों पर विद्युतीकरण का प्लान तैयार कर लिया जायेगा। इस हेतु विद्युतीकरण प्लान पर बिन्दु सं0-12 के अनुसार अधीक्षण अभियन्ता (वितरण) का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। आवेदकों की कम संख्या अथवा Scattered distribution (छितरे हुए प्लॉट) के दृष्टिगत यदि एच0टी0 या एल0टी0 विद्युत तंत्र का विकास करना तत्समय आवश्यक/सम्भव न हो तो मात्र पोल लगाकर आरमर्ड केबिल के माध्यम से कनेक्शन निर्गत किए जायेंगे। जैसे-जैसे आवेदकों की संख्या बढ़ेगी तो उस क्षेत्र का ससमय विद्युतीकरण प्लान तैयार कर लिया जायेगा। यदि किसी अविकसित/अविद्युतीकरण कॉलोनी का विद्युतीकरण प्लान नहीं बन सकता है, तो उस निर्णय का अनुमोदन भी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता (वितरण) द्वारा दिया जायेगा।

(4) कॉलोनी से प्राप्त हुए कुल आवेदनों की संख्या के आधार पर निम्नानुसार कनेक्शन दिये जायेंगे:-

(1) एक से दस आवेदन प्राप्त होने पर-

(i) यदि आवेदनकर्ता का प्लॉट/भवन, पहले से स्थापित एल0टी0 लाइन के पोल (चाहे वह इसी योजना में स्थापित हो) से 250 मीटर के भीतर हो तो आवेदित विद्युत भार के अनुसार उचित क्षमता की आरमर्ड सर्विस केबिल लगाकर तथा परिसर पर (परन्तु परिसर के बाहर) प्री-पेड स्मार्ट मीटर लगाकर कनेक्शन दिया जायेगा। आरमर्ड सर्विस केबिल वर्तमान एल0टी0 विद्युत तंत्र के अन्तिम पोल से सीधे उपभोक्ता के मीटर में संयोजित की जाएगी।

(ii) उक्त हेतु पहले से स्थापित एल0टी0 लाइन के पोल से आवेदनकर्ता के प्लाट/भवन तक अधिकतम 08 पी0सी0सी0 पोल लगाकर एवं उनपर आरमर्ड सर्विस केबल लगाकर कनेक्शन दिया जायेगा। यह पोल इस प्रकार लगाये जायें कि भविष्य

21/5/2025

में विदयुत तंत्र विकसित करने हेतु इनका प्रयोग किया जा सके। इस हेतु उपरोक्त बिन्दु सं0-3 में उल्लिखित विद्युतीकरण प्लान के अनुसार कार्यवाही की जाये।

(iii) पहले से स्थापित ट्रांसफार्मर में यदि संयोजित भार के अनुसार नये आवेदनों हेतु क्षमतावृद्धि आवश्यक है, तो ट्रांसफार्मर की क्षमता बढाकर 16 एवं 25 के0वी0ए0 से 63 के0वी0ए0, 63 के0वी0ए0 से 100 के0वी0ए0 तथा 100 के0वी0ए0 से 250 के0वी0ए0 तक की जा सकती है। एल0टी0 लाईन को भी बदलकर अधिक क्षमता की एल0टी0 लाईन स्थापित की जा सकती है।

(2) कुल आवेदन/संयोजन दस से अधिक हो जाने पर -

(i) बिन्दु सं0-4 (1) के माध्यम से निर्गत विद्युत संयोजनों एवं नये आवेदनों को सम्मिलित करते हुये कुल आवेदनों/कनेक्शनों की संख्या 10 से अधिक हो जाने पर उपरोक्त बिन्दु सं0-3 के अनुसार एच0टी0 एवं एल0टी0 लाइन निर्माण एवं ट्रांसफार्मर की स्थापना सहित तंत्र का विकास किया जाये तथा कनेक्शन दिए जाएं।

(ii) यदि पूर्व में कॉलोनी के अन्तर्गत आरमर्ड केबिल के माध्यम से 250 मी0 दूरी तक के कनेक्शन निर्गत किये गये हैं तो उन्हें भी इस नयी ए0टी0 लाइन से जोड दिया जाए। इस हेतु विद्युत पोलों पर स्थापित आरमर्ड सर्विस केबिलों को हटाकर उपभोक्ता के परिसर के नजदीक अन्तिम पोल से उसके मीटर तक आरमर्ड सर्विस केबिल सामान्य संयोजन की तरह यथावत रखी जाये। इस प्रकार संयोजन में परिवर्तन के समय उपभोक्ता से पुनः आरमर्ड सर्विस केबिल की धनराशि नहीं ली जायेगी, क्योंकि यह धनराशि पूर्व में ही उपभोक्ता से ली जा चुकी है।

(iii) उदाहरण हेतु यदि पूर्व में उपभोक्ता को आरमर्ड केबिल के माध्यम से 200 मी0 की दूरी से कनेक्शन निर्गत किया गया था, परन्तु वर्तमान में एल0टी0 तंत्र के निर्माण के बाद उसके परिसर से निकटतम पोल की दूरी 40 मी0 हो गयी है, तो बिना मीटर में छेड़छाड़ किये हुये आरमर्ड केबिल को दूसरे सिरे (पोल पर) से काट कर पोल पर स्थापित डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में जोड़कर कनेक्शन ऊर्जीकृत कर दिया जाये तथा शेष 160 मी0 आरमर्ड केबिल का उपयोग इस योजना के प्राविधानों के अन्तर्गत अन्य कनेक्शन निर्गत करने में किया जाये।

(5) उपरोक्त बिन्दु सं0-4 (2) के अनुसार कॉलोनी में निर्मित नये तंत्र से भविष्य में कालोनी के किसी अन्य प्लॉट मालिक/निवासी को कनेक्शन दिये जाने के लिए भी प्लॉट के क्षेत्रफल के अनुसार रू0 70 प्रति वर्ग फीट की दर (अथवा नवीनतम प्रभावी दर) से धनराशि जमा कराकर कनेक्शन दिया जाए।

(6) इस प्रक्रिया से घरेलू, वाणिज्यक, निजी/सार्वजनिक संस्थान तथा औद्योगिक (LMV-01, 02, 04 & 06) प्रकार के कनेक्शन दिये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त कॉलोनी में अस्थाई संयोजन (LMV-09) भी दिये जा सकते हैं। अस्थाई संयोजन के लिए भी

प्लॉट के क्षेत्रफल के अनुसार रू0 70 प्रति वर्ग फीट की दर (अथवा नवीनतम प्रभावी दर) से धनराशि जमा करायी जाए। भविष्य में सम्बन्धित प्लॉट मालिक द्वारा स्थाई संयोजन के लिए आवेदन करने पर तंत्र निर्माण की धनराशि पुनः जमा नहीं करायी जायेगी किन्तु नियमानुसार स्थाई संयोजन की राशि जमा कराई जायेगी।

(7) यदि पूर्व में कालोनी के निवासियों/प्लॉट मालिकों द्वारा अस्थाई व्यवस्थाओं से संयोजन लिये गये हैं, तो ऐसे निवासियों से भी रू0 70 प्रति वर्ग फीट की दर (अथवा नवीनतम प्रभावी दर) से धनराशि जमा कराकर नये तंत्र से जोडा जायेगा। बिन्दु सं0-3 के अनुसार किये जाने वाले सर्वे में अविकसित/अविद्युतीकृत कालोनी की बाउण्ड्री क्षेत्र में स्थित अस्थायी तंत्र से पूर्व निर्गत संयोजनों को भी अंकित किया जायेगा। ऐसे निवासियों द्वारा तंत्र निर्माण की धनराशि जमा न करने पर यह धनराशि उनके विद्युत बिलों में जोडते हुए वसूल की जायेगी।

(8) ऐसे निवासी जिनके द्वारा पूर्व में लागू योजना के अनुसार रू0 35 प्रति वर्ग फीट की दर से धनराशि जमा की जा चुकी है उनसे कोई भी अतिरिक्त धनराशि जमा नहीं करायी जायेगी।

(9) यह योजना सभी अविकसित कालोनियों/प्लॉटिंग क्षेत्रों के लिए होगी। ऐसी अविकसित कालोनियों/प्लॉटिंग क्षेत्रों में आंशिक विद्युतीकरण/निजी संयोजनों के लिए पूर्ण जमा मद को प्रतिबन्धित किया जाता है। यदि विकासकर्ता द्वारा कॉलोनी के शत-प्रतिशत विद्युतीकरण के लिए आवेदन किया जाता है तो पूर्ण जमा मद में विद्युतीकरण कराया जा सकता है। विकास प्राधिकरणों/हाउसिंग बोर्ड द्वारा विकसित की जाने वाली कालोनियों में यह योजना लागू नहीं होगी।

(10) ऐसे विकासकर्ता की भूमि जिसने प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त कर विकास कार्य के लिए धन लिया हो लेकिन विकासकर्ता बीच में ही अविकसित भूमि को छोड़कर चला गया हो, तो वहां भी आवेदकों को इस योजना के प्राविधानों के अन्तर्गत कनेक्शन दे दिया जाये। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस परिस्थिति में आवेदकों को बिन्दु संख्या-1 के अनुसार धनराशि जमा करनी होगी।

(11) कालोनी में किये जाने वाले विद्युतीकरण में विदयुत उपकरणों पर कलर कोडिंग की जायेगी। समस्त विद्युत खम्भों पर 80 mm चौड़ाई की 03 पट्टिकाएं (लाल रंग से चारों बिम पर) Non washable (Preferably Epoxy based) Paint से बनाई जाएंगी। यह पट्टिकाएं खम्भे के आधार से 4.5 मीटर की ऊँचांई पर बनाई जाएंगी तथा इनके बीच में 30 mm का Gap भी रखा जाए (ड्रॉइंग संलग्न)। इस प्रकार इन कालोनियों हेतु विकसित तंत्र को पृथक रुप से चिन्हित किया जा सकेगा एवं भविष्य में इस तंत्र से कनेक्शन निर्गत करने में योजना के प्राविधानों के अनुसार आवश्यक राशि जमा कराना सुनिश्चित किया जा सकेगा।

(12) इस योजना के अधीन अविकसित/अविद्युतीकृत कालोनियों में दिये जाने वाले संयोजनों एवं एच0टी0 व एल0टी0 के विद्युत तंत्र निर्माण में योजना के नियमों एवं प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता (वितरण) का होगा।

(13) उपरोक्त प्राविधानों के अनुसार कालोनी के सभी आवेदनकर्ताओं/उपभोक्ताओं से संयोजन राशि सहित तंत्र निर्माण की धनराशि जमा कराने के लिए उत्तरदायित्व निम्नानुसार होगें-

(i) अवर अभियन्ता (वितरण) - मुख्य उत्तरदायित्व
(ii) उपखण्ड अधिकारी (वितरण) - पर्यवेक्षणीय उत्तरदायित्व
(iii) अधिशासी अभियन्ता (वितरण) - प्रशासकीय उत्तरदायित्व एवं नियमित अनुश्रवण

(14) इस योजना में कनेक्शन दिये जाने के लिए आवेदित विधा/भार के आधार पर कारपोरेशन के आदेश संख्या -1330-कार्य/चौदह-पाकालि/2024/138-के-2011/निदेशक (वाणिज्य) दिनांक 10.07.2024 (संलग्न) के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित व्यवस्था के अनुसार सम्बन्धित अभियंता/अधिकारी अधिकृत होंगे-

क्र.सं.	अभियन्ता का पदनाम	विधा	भार स्वीकृति अधिकार
(i)	अवर अभियन्ता (वि0)	घरेलू तथा एकल वाणिज्यिक दुकान (LMV-1 & LMV-2)	04 KW तक
(ii)	उपखण्ड अधिकारी अथवा सहा0अभि0 (वि0)	घरेलू तथा एकल वाणिज्यिक दुकान (LMV-1 & LMV-2)	05–25 KW तक
		अन्य वाणिज्यिक, सार्वजनिक अथवा निजी संस्थान, औद्योगिक तथा अस्थायी (LMV- 2, 4, 6 & 9)	25 KW तक
(iii)	अधिशासी अभियन्ता (वि0)	घरेलू , वाणिज्यिक, सार्वजनिक अथवा निजी संस्थान, औद्योगिक तथा अस्थायी (LMV-1, 2, 4, 6 & 9)	25 KW से अधिक तथा 3,600 KW तक

(15) योजनान्तर्गत कॉलानियों में निर्गत संयोजनों एवं तंत्र विकास से सम्बन्धित समस्त रिकार्ड वितरण खण्ड कार्यालय स्तर पर ई-ऑफिस पर पृथक पत्रावली में ही रखे जायेंगे। योजना के प्रभावी अनुश्रवण हेतु अधिशासी अभियन्ता (वि0) द्वारा मासिक रूप से निम्नलिखित विवरण उक्त पत्रावली पर अपडेट कराया जाएगा-

क्र. सं.	कॉलोनी का प्रचलित नाम	कॉलोनी में विद्युतीकरण की अद्यतन स्थिति				
		प्रथम संयोजन निर्गत करने की तिथि	कुल निर्गत संयोजनों की संख्या	तंत्र विकास हेतु जमा की गयी कुल धनराशि (रू0 लाख में)	तंत्र विकास में प्रयुक्त कुल धनराशि (रू0 लाख में)	तंत्र विकास में प्रयुक्त धनराशि एवं जमा की गयी धनराशि का अन्तर (रू0 लाख में)
1	2	3	4	5	6	7 (=5-6)

(16) इस योजना का प्रयोग ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु विद्युत तंत्र विकसित करने में नहीं किया जायेगा। ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्य पृथक योजनाओं के माध्यम से किये जाते है।

(17) इस योजना की शर्तों के विरूद्ध इन कॉलोनियों में संयोजन निर्गत करने/स्वीकृति प्रदान करने वाले अधिकारी/अधिकारक सीधे उत्तरदायी होंगे तथा उनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(18) योजना को सफल रूप से लागू करने के लिए तथा उचित लेखांकन के लिए आई0टी0 प्रणाली से सम्बन्धित निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी-

(i) योजना का ई0आर0पी0 पर एक अलग मद (Head (Code-UNDEVCOL_70)) बनाया जाएगा तथा सभी तंत्र निर्माण कार्यों को इसी मद में दर्ज किया जायेगा। ARR में इस विवरण का अलग से उल्लेख किया जाना है।

(ii) योजना के अन्तर्गत कनेक्शन के आवेदन के लिए झटपट पोर्टल पर भौगोलिक स्थिति (विद्युतीकृत अथवा अविद्युतीकृत) के चयन हेतु Check Box की व्यवस्था की जायेगी।

(iii) बिलिंग साफ्टवेयर में इन संयोजनों को अलग से चिन्हित करने की व्यवस्था की जायेगी।

(19) तंत्र विकास/सुदृढ़ीकरण हेतु वांछित धनराशि आवेदनकर्ताओं से प्राप्त कुल धनराशि से कम होने की स्थिति में तंत्र विकास हेतु अनुमानित वार्षिक अतिरिक्त वांछित धनराशि की व्यवस्था बिजनेस प्लान (BP) मद में कर कार्य का सम्पादन करा लिया जाए। इस व्यवस्था का उचित लेखा-जोखा रखा जाये। कालोनी से अतिरिक्त संयोजनों के आवेदन तथा राशि प्राप्त होने की स्थिति में तदनुसार BP मद में समायोजन कर लिया जाए। यदि सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के अंत तक कालोनी में तंत्र विकास हेतु BP

मद से प्रयोग की गयी अतिरिक्त राशि कॉलोनी से प्राप्त नहीं होती है तो इस राशि की प्राप्ति Capex के रूप में ARR के माध्यम से की जाए।

(20) योजना के अन्तर्गत तंत्र निर्माण के लिए जमा की जाने वाली धनराशि की दर रू0 70 प्रति वर्ग फीट, प्रत्येक वर्ष अपडेट की जायेगी। यह नवीन दर पिछले 12 माह के WPI (Wholesale Price Index) के अनुसार तय की जायेगी।

(21) रू0 70 प्रति वर्ग फीट की उपरोक्त दर, योजना लागू होने की तिथि (27.02.2025) से एक वर्ष के लिए अर्थात माह फरवरी 2026 के अन्त तक अथवा इस दर के परिवर्तन हेतु जारी होने वाले आदेश तक लागू रहेगी।

(22) इस योजना के क्रियान्वयन में बड़ी मात्रा में आरमर्ड सर्विस केबिल की आवश्यकता होगी। अत: अविकसित/अविद्युतीकृत कालोनी की भौगोलिक स्थिति एवं प्लाटों के क्षेत्रफल के अनुसार संयोजनों के अनुमानित विद्युत भार के आधार पर विभिन्न साइज के आरमर्ड सर्विस केबिल क्रय कर इनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।

संलग्नक- 1. पोल ड्रॉइंग

2. पावर कारपोरेशन आदेश सं0 :- -1330-कार्य/चौदह-पाकालि/2024/138-के-2011/निदेशक (वाणिज्य) दिनांक 10.07.2024

भवदीय,

(ज्ञानेन्द्र धर द्विवेदी)

निदेशक (वितरण)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही तथा योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (वाणिज्य/वित्त/कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन/आई0टी0/कारपोरेट प्लानिंग)) उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (तकनीकी/वाणिज्य), विद्युत वितरण निगम लि0,पूर्वांचल-वाराणसी/ मध्यॉचल-लखनऊ/दक्षिणॉचल-आगरा/ पश्चिमांचल-मेरठ एवं केस्को-कानपुर।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), विद्युत वितरण निगम लि0, पूर्वांचल-वाराणसी/ मध्यॉचल-लखनऊ/दक्षिणॉचल-आगरा/पश्चिमांचल-मेरठ एवं केस्को-कानपुर।
4. समस्त अधीक्षण एवं अधिशासी अभियन्ता (वितरण/भण्डार/सा0प्र0), विद्युत वितरण निगम लि0, पूर्वांचल-वाराणसी/ मध्यॉचल-लखनऊ/दक्षिणॉचल-आगरा/पश्चिमांचल-मेरठ एवं केस्को-कानपुर।
5. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या 407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0पा0का0लि0 की वेबसाइट: www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

संख्या 984 /रेस्पो/एस-1/अविकसित कॉलोनी दिनांकः 21 मई ,2025

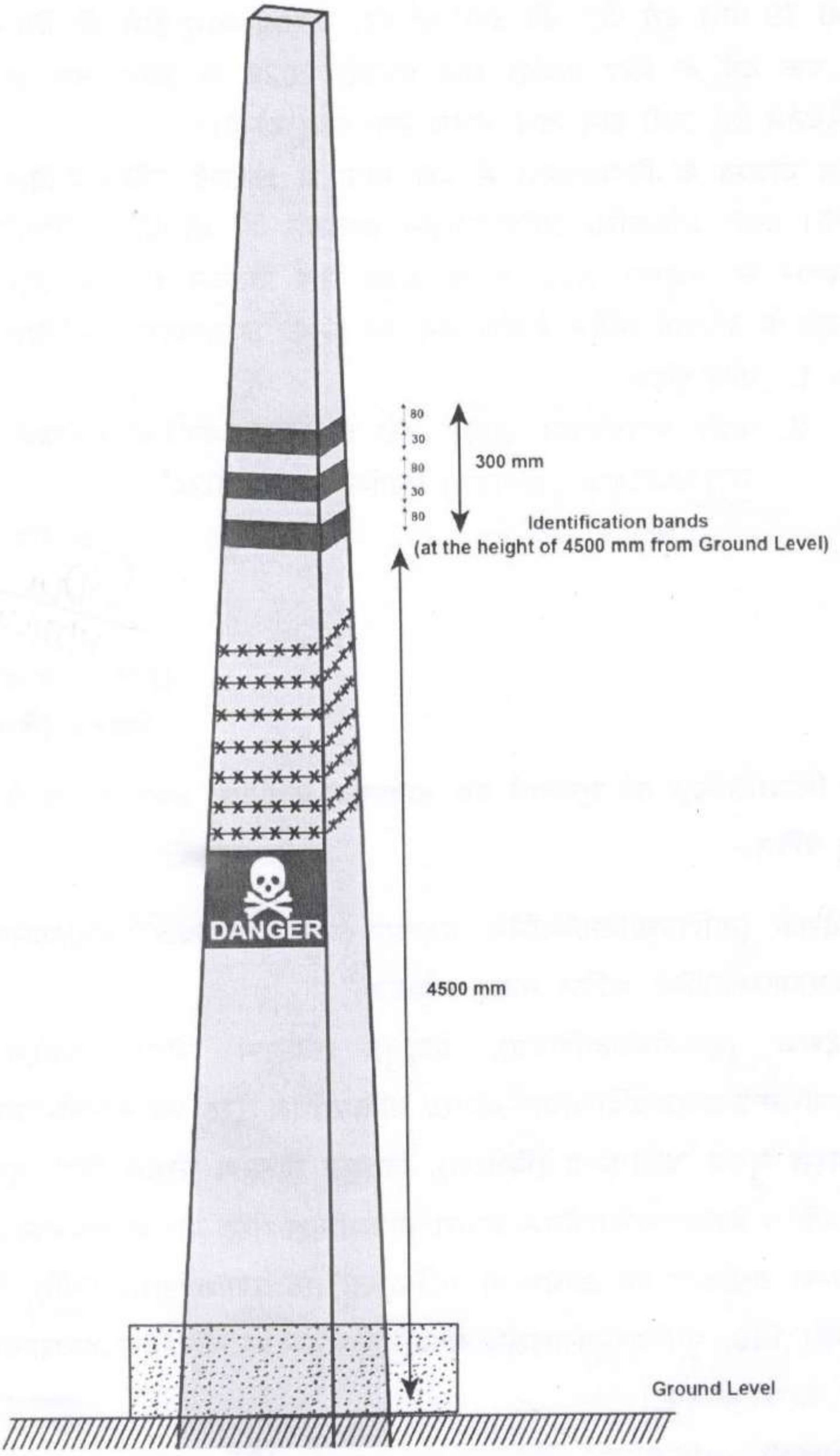

Note-Figure not to Scale

Identification of Poles in Undeveloped colony

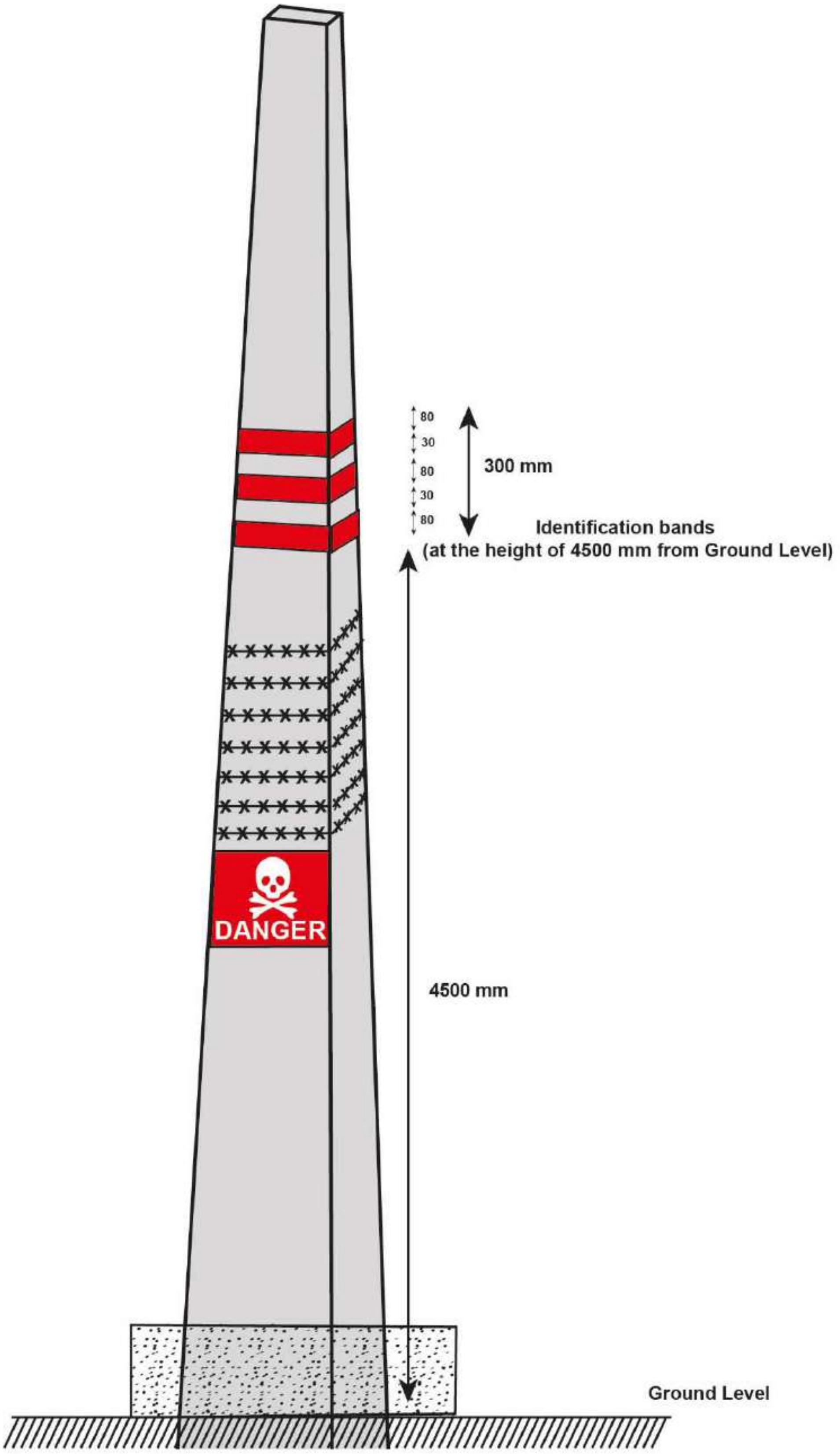

Note-Figure not to Scale

Identification of Poles in Undeveloped colony

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
14 – अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(CIN : U32201UP1999SGC024928)

संख्या–1330–कार्य/चौदह–पाकालि/2024/138–के–2011/निदेशक(वाणिज्य) दिनांक: 10.07.2024

कार्यालय ज्ञाप

एतदद्वारा विकास प्राधिकरणों, प्राईवेट निर्माताओं, प्रमोटर्स, कालोनी निर्माता, संस्थानों एवं व्यक्तिगत आवेदकों द्वारा विकसित किये जाने वाले बहुमंजिला भवनों अथवा कालोनियों में विद्युत संरचना (Electrical Infrastructrue) के लिए भार स्वीकृति अथवा अतिरिक्त भार स्वीकृति हेतु तथा व्यक्तिगत आवेदकों को नये संयोजनों की भार स्वीकृति अथवा भार वृद्धि हेतु पूर्व में निर्गत समस्त आदेशों को अवक्रमित करते हुये निम्नवत् आदेश निर्गत किये जाते हैं :–

1.(A) बहुमंजिला भवन अथवा कालोनी

a) बहुमंजिला भवन से अभिप्राय बेसमेंट (किसी भवन का वह भाग जो पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से जमीनी स्तर से नीचे हो) को छोड़कर चार मंजिल से अधिक मंजिलों (भूतल सहित) वाले भवन से है, परन्तु Stilt Floor (भूतल पर चारों ओर से खुला स्थान जहाँ आमतौर पर पार्किंग सहित एक जनरेटर कक्ष, स्विच रूम आदि होते हैं) मंजिलों की गिनती में सम्मिलित होगा।

b) समस्त घरेलू, गैर–घरेलू बहुमंजिला भवनों अथवा कालोनियों में निजी स्वामियों अथवा निवासियों को विद्युत आपूर्ति हेतु नये संयोजन, बहु–बिन्दु (multi-point) पर ही अवमुक्त किये जायेंगे।

c) मल्टीप्लेक्स, वैवाहिक हॉल एवं सेन्ट्रलाइज्ड एयरकन्डीशन्ड भवनों में एकल बिन्दु (single-point) पर भी संयोजन दिया जा सकता है।

d) इस कार्यालय ज्ञाप हेतु विद्युत संरचना (Electrical Infrastructrue) का अर्थ अनुज्ञप्तिधारी (Licensee) के विद्युत उपकेन्द्र (220/132/33 KV अथवा 33/11 KV अथवा 11/0.4 KV) से व्यक्तिगत भवन स्वामी के परिसर तक समस्त विद्युत संरचना से है।

(B) विद्युत संरचना (Electrical Infrastructrue) भार स्वीकृति हेतु आवेदन की प्रक्रियाः–

a) घरेलू, गैर–घरेलू बहुमंजिला भवनों अथवा कालोनियों में विद्युत संरचना के भार की स्वीकृति हेतु आवेदक अर्थात् विकासकर्ता द्वारा स्वयं अथवा उचित अधिकार पत्र सहित अधिकृत व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन डिस्काम के सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता (वितरण) को प्रस्तुत किया जायेगा।

नोट : अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता वह नामित व्यक्ति होता है जिसे किसी पंजीकृत सोसाइटी, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी कम्पनी (LLC), हिन्दू अविभाजित परिवार (HUF) अथवा कंपनी की ओर से, व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर करने का अधिकार दिया गया हो।

b) विकासकर्ता अथवा विकासकर्ता के अधिकृत व्यक्ति द्वारा आवेदन के साथ निम्न स्वः प्रमाणित (Self Attested) प्रपत्र संलग्न किये जायेंगे–

(i) अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के प्रकरण में समस्त प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत व्यक्ति के नाम पर प्राधिकार–पत्र।

(ii) बहुमंजिला भवन अथवा कालोनी का सम्बन्धित विकास प्राधिकरण अथवा नगर निगम या नगर पालिका या नगर पंचायत अथवा ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदित मानचित्र

अथवा

पंजीकृत आर्कीटेक्ट द्वारा प्रमाणित मानचित्र

अथवा

प्रमाणित मानचित्र के अभाव वाले प्रकरणों में आवेदक द्वारा स्वः प्रमाणित मानचित्र।

(iii) नोटराइज्ड शपथ–पत्र जिसमें आवेदक द्वारा निम्न वर्णन किया जायेगा कि :–

- आवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये स्वः प्रमाणित मानचित्र में जो भी निर्मित क्षेत्रफल (Constructed Area) दर्शाया गया है, उससे अधिक का निर्माण नहीं कराया जायेगा। यदि कभी यह पाया जाता है कि अधिक क्षेत्रफल का निर्माण किया गया है, उस स्थिति में विकासकर्ता आवश्यक विद्युत संरचना (अतिरिक्त भार हेतु) बनाने के लिये उत्तरदायी होगा।
- सक्षम प्राधिकरण की आपत्ति अथवा विध्वंस हो जाने पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आपूर्ति स्थायी रूप से विच्छेदित कर दी जायेगी एवं इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा तथा वह किसी भी प्रकार की धनराशि अथवा सामग्री की वापसी का दावा नहीं कर सकेगा।
- आवेदक द्वारा लाईसेंसी के आपूर्ति बिन्दु से इनकमिंग सप्लाई पर रेफरेन्स मीटर तक की विद्युत संरचना (Electrical Infra-structure) को बिना किसी भुगतान या किसी प्रकार के व्यय की वापसी का दावा किये, डिस्काम को हस्तान्तरित किया जायेगा।
- विद्युतीकरण हेतु आवेदित भू–भाग अथवा स्थान पर वर्तमान में विद्युत देय का कोई बकाया नहीं है। यदि कोई विद्युत बकाया भविष्य में संज्ञानित होता है, तो उसका भुगतान शपथकर्ता द्वारा किया जायेगा।
- इनकमिंग सप्लाई बिन्दु के पश्चात् समस्त आन्तरिक वायरिंग में तथा आन्तरिक प्रणाली में कमी अथवा उत्पन्न दोष निवारण हेतु अनुरक्षण कार्य का दायित्व शपथकर्ता का होगा।
- खराब होने पर ट्रांसफार्मर का अनुरक्षण/बदलने का दायित्व शपथकर्ता का होगा।
- बस बार, वितरण बक्सों एवं मीटर कक्ष का सुचारू रूप से इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड (Electrically Insulated) होना तथा ताला बन्द होना सुनिश्चित करने का दायित्व शपथकर्ता का होगा।

(iv) विद्युत संरचना (Electrical Infra-structure) का सिंगल लाइन डायग्राम (SLD) जिसमें प्रत्येक सामग्री की संख्या, मात्रा, टेक्नीकल स्पेसीफिकेशन (Technical Specifications) और क्षमता आदि का स्पष्ट उल्लेख हो। विद्युतीकरण के कार्य में प्रयुक्त की जाने वाली प्रत्येक सामग्री डिस्कॉम द्वारा अनुमोदित गारंटीड टेक्नीकल पर्टीकुलर्स (Guaranteed Technical Particulars-GTP) के अनुसार ही होनी चाहिए।

(v) बस बार के प्राविधान तथा रेफरेन्स मीटर के स्थान सहित बहु बिन्दु आपूर्ति के लिये विद्युत संरचना (Electrical Infra-structure) का विस्तृत प्लान।

(vi) भार के अनुरूप प्रक्रमण शुल्क (Processing fee) तथा ड्राइंग अनुमोदन शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा वितरण खण्ड के बैंक खाते में (यू0पी0आई0, इन्टरनेट बैंकिंग, डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड अथवा काउन्टर जमा पर्ची के माध्यम से) जमा करने का साक्ष्य।

(vii) विद्युत संरचना में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों का क्रय एस्टीमेट, मेक एवं परिवर्तकों की गारण्टी डिस्काम को उपलब्ध कराने तथा निर्दिष्ट कार्यों का सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर हस्तान्तरित होने तक कार्यस्थल पर उपलब्ध लाइनों और परिवर्तक आदि के समुचित रख–रखाव हेतु सहमति पत्र।

(viii) भूमि के स्वामित्व, पट्टा–विलेख, पावर ऑफ अटॉर्नी अथवा वैध अधिग्रहण से सम्बन्धित दस्तावेज।

(ix) आवेदक द्वारा पूर्ण जमा योजना अथवा सुपरविजन चार्ज जमा कर स्वयं विद्युतीकरण कराने का स्पष्ट उल्लेख आवेदन के समय ही किया जायेगा। पूर्ण जमा योजना में प्राक्कलन धनराशि जमा करने के पश्चात् कार्य प्रारम्भ होने में विलम्ब की स्थिति में भी आवेदक सुपरविजन चार्ज जमा कर स्वयं विद्युतीकरण करा सकता है, ऐसी स्थिति में डिस्काम द्वारा आवेदक को सुपरविजन चार्ज व जी0एस0टी0 (GST) के अतिरिक्त प्राक्कलन की शेष धनराशि वापस कर दी जायेगी। सुपरविजन चार्ज जमा कर आवेदक द्वारा स्वयं विद्युतीकरण का कार्य डिस्काम में सूचीबद्ध (Empanelled) ठेकेदार से ही कराना होगा।

(C) **<u>विद्युत भार का आंकलन व स्वीकृति हेतु आवश्यक कार्यवाही:–</u>**

a) निर्मित क्षेत्र (Constructed Area) की गणना निम्नवत् की जायेगी:–

(i) कालोनी	प्लाट एरिया x एफ0ए0आर0 (FAR) (दोनों आंकडे उपलब्ध कराये गये मानचित्र अनुसार)
(ii) घरेलू/गैर घरेलू बहुमंजिला भवन	उपलब्ध कराये गये मानचित्र अनुसार

(i) प्लाट एरिया से आशय कॉलोनी में रोड, पार्क आदि को छोड़कर भवन निर्माण हेतु उपलब्ध एरिया से है तथा एफ0ए0आर0 (फ्लोर एरिया रेशियो) इंगित करता है कि किसी भू-भाग पर कितना निर्माण किया जा सकता है।

(ii) निर्मित क्षेत्र की गणना में कार पार्किंग, सीढ़ी तथा बालकनी के क्षेत्र का 50 प्रतिशत क्षेत्र ही आंकलित होगा। पानी की टंकी व छज्जा प्रोजेक्शन का क्षेत्र निर्मित क्षेत्र की गणना में सम्मिलित नहीं होगा।

(iii) यदि स्वीकृत प्लान के अनुसार एक ही परिसर में दो या उससे अधिक भवन हैं तो निर्मित क्षेत्र की गणना में सभी भवनों के निर्मित क्षेत्रफल को जोड़ा जायेगा।

b) विद्युत भार का आंकलन निम्न मापदण्ड के अनुसार किया जायेगा (विद्युत प्रदाय संहिता–2005 के संलग्नक 4.6 के अनुसार) :–

(i) भार =निर्मित क्षेत्र (वर्ग मी0)x[0.5(घरेलू हेतु) या 1.5(गैर घरेलू हेतु)]/10xडायवर्सिटी फैक्टर KW

(ii) घरेलू – 500 वाट प्रति 10 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र या अपेक्षित भार, जो भी अधिक हो।

(iii) वाणिज्यिक – 1500 वाट प्रति 10 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र या अपेक्षित भार, जो भी अधिक हो।

(iv) अधिकतम भार की गणना हेतु विविध कारक (डायवर्सिटी फैक्टर) निम्नवत् हैं:–

घरेलू क्षेत्र	–	0.50
गैर घरेलू क्षेत्र	–	0.75

(v) उक्त भार में लिफ्ट की मोटर, जलापूर्ति की मोटर, स्ट्रीट लाइट, यदि कोई हो, कॉरिडोर, कैम्पस लाइटिंग एवं अन्य सार्वजनिक सुविधाओं का वास्तविक भार जोड़ा जायेगा।

(vi) भार की गणना में उपरोक्त बिन्दु सं0 (v) में लिये गये क्षेत्र को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(D) **<u>विद्युत संरचना (Electrical Infrastructure) भार की स्वीकृति हेतु अधिकारियों को निम्नवत् अधिकार प्रदान किये जाते हैं:–</u>**

क्र0सं0	स्वीकर्ता अधिकारी	भार स्वीकृति अधिकार (KW/KVA)
(i)	अधिशासी अभियन्ता (वितरण)	3,600 KW अथवा 4,000 KVA तक
(ii)	अधीक्षण अभियन्ता (वितरण)	3,600 KW अथवा 4,000 KVA से अधिक

(E) **प्राक्कलनः–**

a) विद्युत संरचना (Electrical Infrastructure) हेतु भार स्वीकृति के साथ ही सम्बन्धित स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा विद्युत संरचना (लाईसेंसी के आपूर्ति बिन्दु से इनकमिंग सप्लाई पर रेफरेन्स मीटर तक) के सिंगल लाइन डायग्राम की स्वीकृति भी प्रदान की जायेगी, तत्पश्चात अधिशासी अभियन्ता (वितरण) द्वारा प्राक्कलन तैयार कराया जायेगा।

b) विद्युत संरचना के विकास अथवा विस्तार हेतु प्राक्कलन में आंकलित विद्युत भार के समरूप या समकक्ष मानकीकृतं अथवा विद्युत वितरण निगम द्वारा क्रय की जा रही क्षमता के उपकरणों एवं सामग्री का ही प्राविधान किया जायेगा। किसी भी दशा में ये उपकरण वितरण निगम द्वारा प्रयुक्त उपकरणों से निम्न मानक व गुणवत्ता के नहीं होंगे।

c) ऊर्जा खपत एवं ऊर्जा ह्रास की समुचित गणना हेतु निम्न स्थानों पर मीटर स्थापित किये जायेंगे:–

   (i) HT विभव की इनकमिंग सप्लाई पर रेफरेन्स मीटर।

   (ii) प्रत्येक ट्रांसफार्मर की LT साईड पर।

d) 11 KV अथवा उससे अधिक विभव पर इनकमिंग सप्लाई तथा ट्रांसफार्मर की LT पर उचित क्षमता के सर्किट ब्रेकर लगाया जाना अनिवार्य होगा, तथा इसका सम्पूर्ण व्यय विकासकर्ता द्वारा वहन किया जायेगा।

(F) **प्राक्कलन का भुगतानः–**

a) सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता (वितरण) द्वारा निर्गत **नियम व शर्तों** (Terms & Conditions) के सापेक्ष देय धनराशि का भुगतान विकासकर्ता द्वारा अधिकतम 90 दिनों में किया जायेगा।

b) विकासकर्ता द्वारा ही विद्युत संरचना के विकास हेतु सम्पूर्ण व्यय वहन किया जायेगा। यदि विकासकर्ता स्वयं फीडर का निर्माण कराना चाहता है तो उसे नियमानुसार सुपरविजन चार्ज जमा कराने के उपरान्त अनुमति प्रदान की जायेगी। निर्माण हेतु आंकलित व्यय का शत प्रतिशत प्राप्त होने पर ही डिस्काम द्वारा निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(G) **निर्माण कार्य हेतु अस्थायी विद्युत संयोजनः–**

a) बहुमंजिला भवन अथवा कालोनी के निर्माण कार्य के लिए आवेदक अस्थायी संयोजन के लिये पृथक आवेदन करेगा। यह अस्थायी संयोजन निर्माण की प्रस्तावित अवधि अथवा प्रथम चरण में अधिकतम दो वर्ष के लिए स्वीकृत किया जायेगा। निर्माण कार्य में अधिक समय लगने की स्थिति में स्वीकृत समयावधि पूर्ण होने के पूर्व ही अस्थायी संयोजन की अवधि विस्तार हेतु प्रार्थना–पत्र देना होगा।

b) अस्थायी संयोजन का भार कुल विद्युत संरचना (Electrical Infra-structure) हेतु आगणित भार के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा तथा यह अस्थायी संयोजन मीटर लगाकर ही अवमुक्त किया जायेगा।

(H) **बहुमंजिला भवनों, कालोनी में बहुबिन्दु संयोजनः–**

a) प्रत्येक व्यक्तिगत आवेदक (Individual Applicant) द्वारा आवेदन सम्बन्धित समस्त औपचारिकतायें पूर्ण की जायेंगी तथा संयोजन हेतु आवश्यक धनराशि (प्रोसेसिंग फीस, प्रतिभूति धनराशि, मीटर का मूल्य, लाइन चार्ज आदि) का भुगतान करना होगा।

b) प्रत्येक भावी उपभोक्ता को उसकी आवश्यकतानुसार संयोजन निर्गत किया जायेगा। इस संबंध में कोई टेक्नीकल फीजिबिलिटी रिपोर्ट (TFR) की आवश्यकता नहीं होगी।

c) विकासकर्ता अथवा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) द्वारा मिश्रित/कॉमन सुविधाओं के संयोजन हेतु पृथक आवेदन व भुगतान किया जायेगा।

d) बहुमंजिला भवनों में सभी इनर्जी मीटर भूतल अथवा अधोतल पर लगाये जायेंगे। मीटर लगाने के लिये विकासकर्ता द्वारा पर्याप्त एवं सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराया जायेगा।

(i) विद्युत प्रणाली को डिस्काम को हस्तान्तरित करने के पश्चात विकासकर्ता, विकास प्राधिकरण , RWA आदि के दायित्व:–

a) आन्तरिक वायरिंग तथा आन्तरिक प्रणाली में कमी अथवा उत्पन्न दोष निवारण हेतु अनुरक्षण कार्य करना।

b) खराब होने पर ट्रांसफार्मर का अनुरक्षण/बदलना।

c) बस बार, वितरण बक्सों एवं मीटर कक्ष का सुचारू रूप से इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड (Electrically Insulated) होना तथा ताला बन्द होना सुनिश्चित करना।

2. व्यक्तिगत आवेदन (Individual Application):–

a) व्यक्तिगत आवेदक (Individual Applicant) को नये संयोजन हेतु भार स्वीकृत करने अथवा विद्यमान संयोजनों पर भार वृद्धि करने हेतु अभियंताओं को निम्नवत् अधिकार प्रदान किये जाते है:–

क्र0सं0	अभियंता का पदनाम	विधा	भार स्वीकृति अधिकार
(i)	अवर अभियंता (वि0)	घरेलू तथा एकल वाणिज्यिक दुकान (LMV-1 & LMV-2)	04 KW तक
(ii)	उपखण्ड अधिकारी अथवा सहा0अभि0 (वि0)	घरेलू तथा एकल वाणिज्यिक दुकान (LMV-1 & LMV-2)	05–25 KW तक
		अन्य वाणिज्यिक, सार्वजनिक अथवा निजी संस्थान (LMV-2 & LMV-4) व अन्य समस्त विधा	25 KW तक
		निजी नलकूप (LMV-5)	25 HP तक
(iii)	अधिशासी अभियंता(वि0)	समस्त विधा	25 KW से अधिक तथा 3,600 KW (4,000 KVA)तक
(iv)	अधीक्षण अभियंता (वि0)	समस्त विधा	3,600 KW (4,000 KVA) से अधिक

b) व्यक्तिगत आवेदक द्वारा नये संयोजन हेतु ऑनलाइन आवेदन झटपट, निवेश मित्र अथवा पी0टी0डब्ल्यू0 (P.T.W) पोर्टल पर किया जायेगा।

3.(a) ट्रांसफार्मर की क्षमता तथा आवेदित भार के निर्धारण हेतु KW से KVA में परिवर्तन पावर फैक्टर 0.90 के आधार पर किया जायेगा।

(b) विद्युत प्रदाय संहिता–2005 के खण्ड 3.3(घ) में वर्णित है कि अनुज्ञप्तिधारी वितरण प्रणाली की तकनीकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए संहिता के खण्ड 3.2 में निर्दिष्ट वर्गीकरण से भिन्न विभव (Voltage) और फेज (Phase) पर आपूर्ति कर सकता है। **अतः निर्दिष्ट वर्गीकरण से भिन्न विभव, फेज पर संयोजन की स्वीकृति अधीक्षण अभियंता (वितरण) द्वारा समुचित परीक्षण के उपरान्त प्रदान की जा सकेगी।**

(c) 33 के0वी0 व उच्च विभव पर विद्युतीकरण अथवा संयोजन हेतु टेक्नीकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट (TFR) तथा प्राक्कलन पारेषण इकाई से प्राप्त करने होगें।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

निदेशक मण्डल
उ0प्र0पा0का0लि0

संख्याः–1330–कार्य / चौदह–पाकालि / 2024 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0 / वित्त / वितरण / वाणिज्य / कारपोरेट प्लानिंग / आई0टी0) उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल / पूर्वान्चल / पश्चिमांचल / दक्षिणान्चल, विद्युत वितरण निगम लि0. लखनऊ / वाराणसी / मेरठ / आगरा / केस्को–कानपुर।
5. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0 / वित्त / वितरण / वाणिज्य), समस्त डिस्काम।
6. अपर सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्तिभवन, लखनऊ।
8 महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9 मुख्य अभियन्ता (सामग्री प्रबन्ध) समस्त डिस्काम।
10 मुख्य अभियन्ता (वितरण) समस्त डिस्काम एवं केस्को, कानपुर।
11 अधीक्षण अभियन्ता (वितरण / कार्य / भण्डार) समस्त डिस्काम एवं केस्को, कानपुर।
12 अधिशासी अभियन्ता (वितरण) समस्त डिस्काम एवं केस्को, कानपुर।
13 समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
14 अधिशासी अभियन्ता (कम्प्यूटराइजेशन) कक्ष संख्या–407, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को वेबसाइट-www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।
15 कट फाइल।

(सदानन्द)
संयुक्त सचिव
(ज0श0 प्रशि0 एवं कार्य)